पत्र संख्या-एम 4 07/2018(खंड-I)..10748./वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-..05/12/2023

विषयः- GeM के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु राशि की अग्रिम निकासी के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-6801 दिनांक-10.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत GeM के माध्यम से सामग्रियो एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम निकासी के निमित्त प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत है ।

विदित हो कि दिनांक-01.04.2023 के प्रभाव से राज्य में SGPA की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुये GeM Pool Account (GPA) Payment Mode की व्यवस्था लागू की जा चुकी है । GPA के माध्यम से भुगतान हेतु सम्प्रति 6 वाणिज्यिक बैकों (SBI, PNB, HDFC, ICICI, AXIS एवं YES Bank) में से किन्ही तीन बैंको के साथ MoU की सुविधा प्रदान की गई है । उक्त प्रभावी व्यवस्था के तहत क्रय एवं भुगतान के क्रम में MoU किये गये बैंक के माध्यम से "Payment Advice Mandate" स्वजनित होगा, जिसके आधार पर राशि की अग्रिम निकासी कर GPA खाता में हस्तांतरित करने हेतु प्रेषित विपत्र कोषागार द्वारा पारित किया जायेगा।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय स्थायी अनुदेश सं0-2561 **वि0(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-15 एवं 16 द्वारा क्रमशः अग्रिम स्वीकृति प्राधिकार एवं प्रक्रिया निरूपित की गई है** । कालांतर में विभागीय पत्रांक-3748 दिनांक-05.04.2010 एवं पत्रांक-2890 दिनांक 20.03.2023 द्वारा उक्त अनुदेश की संदर्भित कंडिका को संशोधित किया गया है । तदुनुसार सम्प्रति ₹10.00 लाख तक की अग्रिम राशि की निकासी हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का अनुमोदन एवं इससे अधिक राशि हेतु माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन की अनिवार्यता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि केवल GeM से क्रय के निमित्त GPA खाता में राशि हस्तांतरित करने हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वयं अग्रिम राशि की निकासी की जा सकेगी । इस हेतु विभागीय मंत्री/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन की आवश्यकता नही होगी । GeM से संबंधित ऐसे सभी मामलो में की गई अग्रिम निकासी की सूचना विभाग/कार्यालय के Primary User के Login में सतत् उपलब्ध रहेगी, जिसके आधार पर संबंधित विभाग के स्तर पर समुचित अनुश्रवण होगा।

विश्वासभाजन,

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

Sec-4/243